पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-754
दिनांक 01.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण-

दिनांक 01.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि भू-गर्भ कार्यालय के पीछे हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति वहाँ से निकलने वाले लोगों के साथ अभद्रता करते हुये वाद विवाद कर रहा है प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 रामप्रवेश साहनी मय पुलिस टीम के रवाना होकर मौके पर पहुचे को देखा कि विकेश पाण्डेय पुत्र शिवशंकर पाण्डेय नि० ग्राम हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र -22 वर्ष है वह भू-गर्भ कार्यालय ग्राम हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ के पास खड़ा होकर वहां से निकलने वाले व्यक्तियों से अभद्रता करते हुये आमदा फौजदारी हो रहा है।

मौके पर विकेश पाण्डेय उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु विकेश पाण्डेय उपरोक्त किसी की बात को नहीं मानने को तैयार नही हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर अमादा फौजदारी होने लगा, मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु अभियुक्त उपरोक्त का अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. विकेश पाण्डेय पुत्र शिवशंकर पाण्डेय नि० ग्राम हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -22 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-755

दिनांक 01.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.03.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि जलसा रिसार्ट के पास किसान पथ के नीचे दो पक्ष आपस में ठेला लगाने की बात को लेकर विवाद कर रहे है, प्राप्त सूचना के आधार पर मैं उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के प्राप्त सूचना के आधार पर जलसा रिसार्ट किसान पथ पर पहुचे को देखा कि प्रथम पक्ष के 1.अर्जुन सिंह यादव पुत्र शत्रोहन लाल यादव निवासी ग्राम अहिरन ढकवा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष 2.आशुतोष यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी अहिरन ढकवा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के 1. आकाश यादव पुत्र कमल चन्द्र यादव नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र -20 वर्ष 2.कमलचन्द्र पुत्र रामपाल नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र -42 वर्ष 3.विकाश यादव पुत्र कमल चन्द्र नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ के मध्य ठेला लगाने की बात को लेकर वाद विवाद कर रहे है। जब पुलिस टीम द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो दोनो पक्ष पुलिस टीम की एक भी बात न मानकर और तेज तेज आवाज में बोलने लगे व आमादा फौजदारी पर उतारू हो गए, मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु अभियुक्त गण उपरोक्त का अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अर्जुन सिंह यादव पुत्र शत्रोहन लाल यादव निवासी ग्राम अहिरन ढकवा थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 35 वर्ष

2.आशुतोष यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी अहिरन ढकवा थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 18 वर्ष

3.आकाश यादव पुत्र कमल चन्द्र यादव नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र -20 वर्ष

4.कमलचन्द्र पुत्र रामपाल नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र -42 वर्ष

5.विकाश यादव पुत्र कमल चन्द्र नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर पो0 बक्कास थाना गोसाईगंज लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-756

दिनांक 01.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि माढरमऊ कला गांव में स्थित ग्राम समाज की भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है प्राप्त सूचना के आधार पर मैं उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के रवाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर माढरमऊ कला गाँव पर पहुचे को देखा कि प्रथम पक्ष के डॉ0 राजेश कुमार गौतम पुत्र राम सहाय निवासी माढरमऊ कला थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र- 37 वर्ष व गावं के लोगों के मध्य ग्राम समाज की खाली जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर वाद विवाद कर रहे है। जब पुलिस टीम द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो प्रथम पक्ष के डॉ0 राजेश कुमार गौतम पुलिस टीम की एक भी बात न मानकर और तेज तेज आवाज में बोलने लगे व आमादा फौजदारी पर उतारू हो गए, मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु अभियुक्त उपरोक्त का अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.डॉ0 राजेश कुमार गौतम पुत्र राम सहाय निवासी माढरमऊ कला थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र- 37 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-0749

दिनांक- 01.04.2025

जोन मध्य/ थाना महानगर

- **79 अदद गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 16,00,000/- रुपये) को उसके वास्तविक धारकों को सुपुर्द किया गया।**

संक्षिप्त विवरण :–

थाना महानगर लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु सुश्री नेहा त्रिपाठी सहायक पुलिस आयुक्त महानगर लखनऊ व निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना महानगर लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को उसके वास्तविक मोबाइल धारक को सुपुर्द किया गया। खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारकों द्वारा पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

बरामदगी :-

- 79 अदद मोबाईल फोन बरामद (विभिन्न कम्पनियों के)

बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार मिश्रा थाना महानगर लखनऊ
2. म0हे0का0 सरोज देवी थाना महानगर लखनऊ

सलाह / अपील :–

अगर मोबाइल फोन गुम हो जाये तो ये कदम भी उठाए जा सकते है:-

- सबसे पहले, UPCOP पर LOST ARTICLE पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- फिर, पुराने सिम को ब्लॉक करने और नया सिम लेने के लिए, नजदीकी सिम सेवा प्रदाता स्टोर पर जाएं
- CEIR पोर्टल पर जाएं और BLOCK STOLEN/LOST MOBILE पर विवरण दर्ज करें।
- फार्म मे पुलिस कंप्लेंट नंबर दर्ज करे।
- अपना नाम, पता, पहचान पत्र और ई मेल आईडी दर्ज करे
- फार्म सबमिट हो जाने के बाद, एक शिकायत आईडी मिलेगी।
- इस आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-750
दिनांक-01.04.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तारी स्थान-अभियुक्त के घर चक्करपुरवा पेपरमिल कालोनी थाना महानगर**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- तुषार वर्मा**

01.संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना महानगर पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग भांजी उम्र करीब 15 वर्ष बिना बताये कहीं चली गयी है जिसके आधार पर दिनांक 17.03.25 को मु0अ0सं0 59/25 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त तुषार वर्मा पुत्र राजू वर्मा नि0 चक्करपुरवा पेपरमिल कालोनी थाना महानगर लखनऊ का नाम प्रकाश में आया जो वादी मुकदमा की नाबालिग भांजी से बात चीत करता था तथा पीडिता को बहला फुसला कर शादी करने के लिये भगा ले गया था।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा पीड़िता को दिनांक 18.03.25 को बरामद कर लिया गया था तथा अभियुक्त तुषार वर्मा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा था।

आज दिनांक 01.04.25 को वांछित चल रहे अभियुक्त तुषार वर्मा को अभियुक्त के घर चक्करपुरवा पेपरमिल कालोनी थाना महानगर लखनऊ से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1) तुषार वर्मा पुत्र राजू वर्मा नि0 चक्करपुरवा पेपरमिल कालोनी थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0 59/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 वेद प्रकाश यादव थाना महानगर लखनऊ
2. का0 विरजंन पाल थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-752
दिनांक-01.04.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **वादी की नाबालिग बहन को शादी करने के लिए बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तारी स्थान-तुलसीपुर चौराहा जनपद बलरामपुर**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- राहुल गौतम**

01.संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.03.25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गयी कि उसकी बहन उम्र 19 वर्ष अभियुक्त राहुल गौतम के साथ चली गयी है जिसके आधार पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 87 बीएनएस बनाम राहुल गौतम पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त राहुल गौतम पुत्र देवीदीन गौतम नि0 पिपरिहा जमनी थाना पंचपेडवा जिला बलरामपुर पीड़िता से पूर्व से लगभग दो साल से बात चीत करता था जो पीड़िता को शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगा ले गया है।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडिता को बरामद किया गया तथा अभियुक्त राहुल गौतम को दिनांक 31.03.23 को मुखबिर खास की सूचना पर तुलसीपुर चौराहा जनपद बलरामपुर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल गौतम पुत्र देवीदीन गौतम नि0 पिपरिहा जमनी थाना पंचपेडवा जिला बलरामपुर उम्र करीब 21 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 71/25 धारा 87 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सौरभ पाण्डेय थाना महानगर लखनऊ
2. का0 राकेश कुमार चौबे थाना महानगर लखनऊ
3. म0का0 पुष्पलता थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-0748
दिनांक 01/04/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त-राहुल**
- **गिरफ्तारी स्थान-भौदरी सिसेण्डी धनवासांड मोड़ थाना मोहनलालगंज लखनऊ से**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-20.03.2025 को वादिनी द्वारा सूचना दिया गया कि वादिनी की लड़की आयु करीब 16 वर्ष को विपक्षी राहुल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम काछीन खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा भगा ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0-87/2025 धारा 87/137(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। दिनांक-25.03.2025 को पीडिता की बरामदगी की गयी, तथा अभियुक्त फरार चल रहा था।

जिसे आज दिनांक-01.04.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त राहुल पुत्र हरिश्चन्द्र उपरोक्त को भौदरी सिसेण्डी धनवासांड मोड थाना मोहनलालगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त-

01-राहुल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम काछीन खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव हाल पता तेलीबाग 9-c वृन्दावन योजना थाना पीजीआई लखनऊ उम्र लगभग 19 वर्ष

03-आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0स0 87/25 धारा 87/137(2)/352 BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

04- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आशुतोष दीक्षित
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार पासवान
3. का0 राहुल राज
4. का0 शेर बहादुर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-753
दिनांक-01.04.2025

जोन-मध्य/थाना मदेयगंज

- **थाना मदेयगंज पुलिस टीम द्वारा महिला पर हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.03.2025 को थाना स्थानीय पर संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल निवाशी ग्राम तौकलपुर थाना सदना जिला सीतापुर हालपता परवेज के मकान मे किराये का कमरा मेहदीगंज खदरा शिया कालेज के सामने थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष के प्रार्थना बावत अभियुक्त राजू द्वारा वादी की पत्नी किरन के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से डण्डे से सिर पर वार कर देने जिससे सर फट जाना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 53/2025 धारा 115(2)/109/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रदीप सिंह को आवंटित की गयी।

आज दिनांक 01.04.2025 को वादी मुकदमा की सूचना पर अभियुक्त मो0 राजू पुत्र स्व0 मो0 फारूख निवासी मक्कागंज, निकट सरकारी राशन की दुकान थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष को पक्का पुल, बन्धा की तरफ डाक्टर सकील ढाल के पास थाना मदेयगंज लखनऊ से कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 01.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 115(2)/109/352/351(3) बीएनएस में हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त मो0 राजू पुत्र स्व0 मो0 फारूख उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01-मो0 राजू पुत्र स्व0 मो0 फारूख निवासी मक्कागंज, निकट सरकारी राशन की दुकान थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0-53/2025 धारा 115(2)/109/352/ 351(3) बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 राजेश सिंह थाना मदेयगंज जनपद-लखनऊ
2. उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना मदेयगंज लखनऊ
3. उ0नि0 पंकज नागर थाना मदेयगंज लखनऊ